प्रोफेसर जोशी व विधायक 2 गोपाल गुर्जर
की पक्षकारान के उपस्थित नहीं होने के
कारण रजामन्दी के निष्कर्ष नहीं हो सका
पत्रावली नामंजूर किये 2-5-18 की वापिस
डाक 2-5-18 को पेश हो।

2/5/2018 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीगण गुर्जर
डाक प्राप्त नहीं। कार्य आदेश 4-5-2018 को डेप्युटी
बिजौलियाँ पर पेश हो।

4/5/2018 पत्रावली राजस्व लोक अदालत के माध्यम / डेप्युटी
बिजौलियाँ पर पेश हुई पत्रावली का कार्य
आदेश अवलोकन किया गया। इस प्रकार है
प्रार्थी के प्रार्थनापत्र 212 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम प्रस्तुत कर विपक्षी की भूमि
निष्कासन के पालन करने की मांग की है
उपस्थित फूल वाड प्रकरण के मांग किये
की विधि प्रमाणित होकर फूल वाड खारिज
किया गया था है। फूल वाड ही खारिज हो
जाने के बाद प्रकरण के किसी प्रकार की कार्यवाही
के उपस्थित नहीं है
पत्रावली छोड़ की जाती है। अब ही कुछ नहीं
आकर कुछ प्रेक्षण नहीं

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा